373
17/07/2025

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, जयपुर आगार

कार्यालयः– मुख्य प्रबन्धक जयपुर आगार, जयपुर 302001 EMAIL-ID -rsrtc.cmjpr@yahoo.com

निविदा के नियम व शर्तें

नोटः– निविदा हेतु प्रश्नों का उत्तर देते समय इन नियमों एवं शर्तों को ध्यान पूर्वक पढ़ें।

01. बुकिंग एजेन्ट की नियुक्ति हेतु पात्रताः–
(क) न्युनतम आयु 18 वर्ष होगी एवं अधिकतम आयु सीमा 65 वर्ष होगी। समिति द्वारा प्रत्याशी को व्यक्तिगत रूप से देखा जाकर यह सुनिश्चित किया जायेगा कि वह बुकिंग एजेन्ट के कर्तव्य को पूरा करने हेतु मानसिक एवं शारीरिक रूप में सक्षम है।
(ख) दसवीं पास या समकक्ष शैक्षणिक योग्यता होना अनिवार्य होगा।
02. बुकिंग एजेन्ट की नियुक्ति हेतु निम्न व्यक्ति पात्र नहीं होगे–
(क) मानसिक एवं शारीरिक रूप से असक्षम।
(ख) निजी वाहन संचालन के यहां पूर्व ने अथवा वर्तमान में सेवारत अथवा उससे सम्बन्ध रखने वाला कोई भी व्यक्ति, निगम अथवा संस्थान से बर्खास्त / सेवापृथक कर्मचारी।
(ग) व्यायालय से सजायाप्ता अथवा जिसके विरुद्ध न्यायालय में आपराधिक प्रकरण विचाराधीन हो।
(झ) निगम के विभिन्न आगारों में ब्लैक लिस्टेड बस सारथी।
03. एक स्थान पर एक से अधिक बुकिंग एजेन्सी चाहने वाले व्यक्ति उपलब्ध होने पर न्यूनतम कमीशन स्वीकार करने वाले व्यक्ति को बुकिंग एजेन्सी दी जा सकेगी।
04. बुकिंग एजेन्ट के लिये प्रार्थना पत्र के साथ अभ्यार्थी को अपने दो नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटो सलग्न करने होंगे जिसमे एक फोटो प्रति कार्यालय में रिकोर्ड के साथ रखी जायेगी तथा एक प्रति अनुबन्ध आदेश पर चिपकाई जायेगी। दोनों ही फोटो मुख्य प्रबन्धक जयपुर आगार द्वारा सत्यापित किये जायेगे। एजेन्सी आवंटन पर लगाई फोटो का प्रतिवर्ष नवीनीकरण करवाना आवश्यक होगा।
05. किसी व्यक्ति को एक से अधिक स्थानों की एजेन्सी नहीं दी जायेगी।
06. समिति द्वारा प्रतिस्पर्धात्मक दरे प्राप्त कर इन दरो से कम दरों पर भी एजेन्सी स्वीकृत करने का अधिकतम प्रयास करेंगे।
07. मासिफ टिकिट बिक्री राशि में दुर्घटना क्षतिपूर्ति, अधिभार, मानव संसाधन अभिभार एवं टोल टैक्स की राशि सम्मिलित नहीं होगी अर्थात केवल basic Fare पर ही कमीशन की देयता निर्धारित होगी।
08. ई०टी०आई०एम० की फिजिकल बॉडी में किसी भी प्रकार की टूट–फूट होने की स्थिति में उसकी मरम्मत में लगने वाली राशि सम्बन्धित बुकिंग एजेन्ट से उसको देय कमीशन में से वसूली योग्य होगी।
09. ई टी आई एम मशीन की चोरी/गुम/नष्ट होने की स्थिति में होने वाला नुकसान स्वय बुकिंग एजेन्ट का होगा, इसमे निगम द्वारा किसी प्रकार की राशि बतौर क्षतिपूर्ति देय नहीं होगी।
10. ईटीआईएम मशीन के चोरी/गुम / नष्ट होने की स्थिति में निगम द्वारा ईटीआईएम मशीन की लागत के रूप में जमा राशि जब्त करने के पश्चात एजेन्ट को ईटीआईएम मशीन की लागत के रूप में रू० 20000/– अथवा महा प्रबन्धक (क्रय/भण्डार) द्वारा निर्धारित जो भी अधिक हो को निगम में पुन जमा कराने के बाद ही नई ईटीआईएम मशीन जारी की जायेगी।
11. इस सम्बन्ध में बुकिंग एजेन्ट का यह कर्तव्य होगा कि वह ईटीआईएम की चोरी/गुम होने की तुरन्त प्रथम सूचना रिपोर्ट सम्बन्धित पुलिस थाने में दर्ज कराये तथा तकनीकि रूप से मशीन का प्रयोग बन्द/लॉक करने के लिये आवश्यक सूचना सम्बन्धित मुख्य प्रबन्धक, जयपुर आगार को तत्काल उचित माध्यम से भेजे।
12. ईटीआईएम में तकनीकि खराबी आने पर बुकिंग एजेन्ट को सम्बन्धित आगार कार्यालय में जाकर त्रुटि को ठीक करवाना होगा, त्रुटि ठीक ना होने की स्थिति में ईटीआईएम जमा कराकर दूसरी इटीआईएम आगार कार्यालय द्वारा जारी की जा सकेगी।
13 यदि बुकिंग एजेन्ट इस ऐजेन्सी का संचालन नहीं करना चाहे तो उसे 30 दिवस का अग्रिम नोटिस देना होगा तथा इस 30 दिन की गणना एजेन्ट द्वारा मुख्य प्रबन्धक को लिखित नोटिस देने के दिन से की जायेगी।
14. ये ऐजेन्सी आदेश में उल्लेखित बस स्टैण्ड के लिये ही मान्य होगी।
15. ऐजेन्ट द्वारा टिकिटो की बिक्री निगम की हिदायतों के अनुसार तथा निगम द्वारा निर्धारित समय अवधि के लिये ही की जा सकेगी।
16 निगम बस में टिकिटों के अतिरिक्त ऐजेन्ट किसी भी अन्य व्यक्ति या सस्थान की बस टिकिटों की बिक्री नही करेंगा तथा किसी अन्य सुविधा का लाभ देय नही होगा।
17. निविदादाता स्वयं ही बुकिंग ऐजेन्सी का संचालन करेगा आवंटित बुकिंग ऐजेन्सी पर किसी अन्य के द्वारा बुकिंग एजेन्सी का संचालन करते हुये पाये जाने पर एजेन्सी निरस्त कर दी जावेगी एवं ब्लैक लिस्ट कर दिया जाऐगा तथा निगम में जमा धरोहर राशि को जब्त कर लिया जायेगा।
18. निविदा सूचना में दिये गये दिशा–निर्देश के अनुरूप निविदा सीलबन्द लिफाफा में प्रस्तुत की जानी आवश्यक है।
19 केवल ऐसा व्यक्ति ही निविदा प्रस्तुत करेगा जो बुकिंग का कार्य करने में सक्षम हो।
20 यह माना जायेगा कि निविदादाता ने समस्त नियम एवं शर्तो को सावधानीपूर्वक अध्ययन करके सन्तुष्ट होने के पश्चात ही निविदा प्रस्तुत की है। निविदा अनुबन्ध में किसी भी नियम ,दिशा–निर्देश या अन्य किसी भाग के विषय में शक होने की स्थिति में निविदा पर हस्ताक्षर करने से पूर्व मुख्य प्रवन्धक जयपुर आगार के कार्यालय में सम्पर्क कर स्थिति स्पष्ट कर सकते है।

21 जिस निविदादाता की निविदा में सबसे न्यूनतम दर प्राप्त होने एव निर्धारित दर से अधिक नही होने पर स्वीकृत की जावेगी। निविदा स्वीकृति पर उसको निगम नियमानुसार धरोहर राशि 10000/– रु० एव ई०टी०आई०एम मशीन की धरोहर राशि 20000/– रु० जयपुर आगार में जमा करानी होगी। ईटीआईएम मशीन का बैलेन्स टॉप–अप बुकिंग एजेन्ट को कराना पड़ेगा। टिकटों की राशि के लिए अतिरिक्त रूप में नकद जमा करने पर ही टिकिट राशि का बैलेस टॉप–अप किया जावेगा। ई०टी०आई०एम० मशीन की सुरक्षा की सम्पूर्ण जिम्मेदारी निविदादाता की होगी।

22 ई०टी०आई०एम० मशीन में आवश्यकतानुसार टिकिट राशि का बैलेंस एवं टॉप–अप समय पर डलवाने की पूर्ण जिम्मेदारी भी निविदादाता की ही होगी।

23 निविदादाता का कार्य एव व्यवहार संतोषप्रद नहीं होने एवं लगातार बुकिंग बन्द रखने पर मुख्य प्रबन्धक जयपुर आगार द्वारा किसी भी समय बिना कारण बताये अनुबन्ध निरस्त किया जा सकता है।

24 निविदादाता द्वारा निगम के निर्धारित स्टैण्ड/ बुकिंग पर निजी अवैध वाहनों को खड़ा नहीं होने दिया जावेगा। यदि निविदादाता निजी अवैध वाहनों से लिप्त पाया जाता है तो अविलम्ब अनुबन्ध समाप्त कर ब्लैक लिस्ट कर दिया जायेगा।

25 सफल निविदादाता का चयन न्यूनतम कमीशन दर के आधार पर किया जावेगा एव इसी न्यूनतम दर पर अन्य निविदादाता कार्य करने को तत्पर होने पर उसे अपनी लिखित सहमति प्रदान करनी होगी।

26 किसी भी न्यायिक कार्यवाही यदि किसी भी व्यक्ति द्वारा दायर करने की स्थिति बनती हो तो जयपुर न्यायलय क्षेत्र में दायर की जावेगी कही अन्य नहीं।

27 अनुबन्ध की अवधि कार्यादेश जारी होने की दिनांक से 03 वर्ष के लिये मानी जावेगी।

28 निगम द्वारा बस एजेण्टों के सम्बन्ध में समय–समय पर जारी समस्त दिशा–निर्देश मान्य होगें।

29 बुकिंग एजेन्ट को आवटित बुकिंग एजेन्सी पूर्णयता अनुबन्धित है जिन्हे निगम द्वारा आवश्यकता नहीं होने पर बिना पूर्व सूचना के कभी भी निरस्त किया जा सकता है। निगम में नियुक्ति के सम्बन्ध में अपना किसी भी प्रकार का दावा प्रस्तुत नहीं करेगा एवं निगम नियुक्ति के समय कोई प्राथमिकता देय नहीं होगी।

30 निविदा में भाग लेने वाले व्यक्ति को 10000/– रु० अमानत राशि के रूप में निगम कोष में जमा कराना आवश्यक है। सफल निविदादाता को उनके द्वारा जमा अमानत राशि का समायोजन धरोहर राशि / ई०टी०आई०एम० टॉप–अप में कर लिया जावेगा तथा असफल निविदादाताओं की अमानत राशि वापस कर दी जायेगी। अमानत राशि पर किसी प्रकार का ब्याज देय नही होगा।

31 कमीशन की राशि पर नियमानुसार GST/TDS/Other यदि कोई हो, तो काट कर भुगतान किया जायेगा।

32 टिकटों की मासिक बिक्री पर कमीशन की अधिकतम दर 5 प्रतिशत होगी।

33 बुकिंग एजेन्ट से आवागमन पंजिका संधारित करायी जावेगी।

34 निविदा में किसी भी स्तर पर विवाद अथवा मतभेद होने पर प्रथम अपीलीय अधिकारी कार्यकारी निदेशक (यातायात) एवं द्वितीय अपीलीय अधिकारी अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम मुख्यालय जयपुर होगें।

34 निविदादाता आवटित बुकिंग एजेन्सी वाले स्थान एवम् आवंटित समय पर ही बुकिंग एजेन्सी का सचालन करेगा। आवंटित स्थल के अतिरिक्त अन्य स्थान पर बुकिंग करते हुए पाए जाने पर इसे अनुबन्ध की अवहेलना माना जायेगा एवम् एजेन्सी समाप्त करते हुए ब्लैक लिस्ट कर दिया जायेगा।

35 बी ओ क्यू (BOQ) में Rate Per Hundred का तात्पर्य है कि 100/– रूपये की टिकट से चार्ज वाली कमीशन राशि यहा कमीशन की दर बेसिक किराये के आधार पर तय की जोयगी।

मैने निविदा की समस्त नियम एवं शर्तों को भली प्रकार पढ़ लिया / समझ लिया है और स्वीकार किये जाने के प्रमाण में हस्ताक्षर कर दिये है साथ ही उक्त निविदा सूचना की अतिरिक्त शर्तों से बाध्य होना स्वीकार करते है।

हस्ताक्षर निविदादाता
नाम् पता व मोबाईल नं०